बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 153 /09-10

(1) परिचयात्मक

(क) अंकेक्षित लेखा का नामः-प्रखण्ड विकास कार्यालय बरौली, गोपालगंज

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधिः- वर्ष 2002-03 से 03-04 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नामः- ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, सरकार ।

(घ) अंकेक्षण अवधि में नियंत्री पदाधिकारी का नाम, अवधि सहितः-

(i) डा0 रामनन्दन प्रसाद, समाहर्ता, दि0- 1.4.02 से 30.6.02 तक

(ii) श्री उदयकान्त लाल दास, समाहर्ता, दि0- 30.6.02 से 3.7.02 तक

(iii) श्री एच0आर0,श्री निवासन, समाहर्ता, दि0- 3.7.02 से 14.1.04 तक

(iv) श्री हीरा लाल, समाहर्ता, दि0- 14.1.04 से 31.3.04 तक

(ङ) अंकेक्षित अवधि में लेखा प्रभारी /पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम पदनाम एवं अवधिः-

(1) श्री सुखदेव प्रसाद, प्र0वि0पदा0 1.4.02 से 7.9.02 तक।

(2) श्री मो0 अंसार अहम्मद प्र0वि0पदा0 8.9.02 से 31.3.04 तक।

(3) श्री रामेश्वर प्रसाद महतो, नाजीर 1.4.02 से 31.3.04 तक।

(4) श्री रामाधार बैंठा, प्रधान सहायक 1.4.02 से 31.3.04 तक।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम पदनामः-

(i) श्री राजेश गुप्ता, – प्रखण्ड विकाश पदाधिकारी

(ii) श्री अरबिन्द कुमार गिरी– नाजीर

(iii) श्री असर्फीराम प्रधान सहायक

(छ) वरीय अंकेक्षको का नाम :–

(1) श्री बलिराम यादव, व0अं0–2

(2) श्री विश्वनाथ सिंह, व0अं0–2

(3) श्री रमेश प्रसाद, व0अं0–2

(4) श्री देवानन्द सिंह, व0अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंमण तिथि– दि015.9.2009

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि– **दि0**30.1.2010

(ञ) अंकेक्षण में व्यतित **कार्य दिवसः–** 50 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट (क) पर दी गई है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र :– इस लेखा का अंकेक्षण विभागीय, ज्ञापांकः–3286 दिनांक–15–9–60 में निहित निदेशानुसार सम्पन्न किया गया। जिला कोषागार गोपालगंज से की गयी राशियों की निकासी एवं जमा का सत्यापन कोषागार अभिलेखों से शत–प्रतिशत सम्पन्न किया गया एवं सही पाया गया। पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन का सत्यापन हेतु माँग की गयी परन्तु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ड) वित्तीय समीक्षाः– अंकेक्षण अवधि वर्ष 02–03 एवं 03–04 को आवंटन एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट ''ख'' दी गई है। सभी खर्च आवंटन के अन्तर्गत की पायी गयी अवशेष राशि प्रत्यार्पित किया गया या नहीं प्रत्यार्पण पत्र के अभाव का

सत्यापन नहीं किया जा सका आवंटन से अलग विभिन्न विकास कार्यो हेतु जिला स्तर के कार्यालयों से प्राप्त राशियों की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट ‘‘ग’’ संलग्न है।

अंकेक्षण अवधि का प्रारंभण शेष एवं संवरण शेष एवं भौतिक सत्यापन से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार पायी गयीः–

	01-04-02	31-03-03	31-03-04
1.बैंको में जमा राशि	1,32,15,240.89	65,05,141.89	सामान्य रोकड़ पुस्त में कैश डिटेल्स अंकित नहीं था। संवरण शेष रू0 96,06,164.16 मात्र पाया गया है।
2. अभिश्रवों में राशि	2,06,103.69	2,01,102.19	
3. अग्रिम में राशि	3,62,860.87	3,11,040.87	
4. नकद हाथ में	31,061.58	7183.58	
5.चेक में राशि (अनडिलिभर्ड)	4,05,920.00	28,76,041.00	
	1,42,21,187.03	99,00,509.53	

दिनांक 31.3.04 को सामान्य रोकड़ पुस्त में संबरण शेष की विवरणी अंकित नहीं की पायी गयी थी। वर्तमान नाजीर से इसे अंकित करने को कहा गया जो नहीं कर सके। आपत्ति निर्गत करने पर भी दिनांक 31.3.2004 एवं अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 15.9.2009 का कैशडिटेल्स बनाने का सुझाव के साथ रोकड़ का भौतिक सत्यापन का स्भार दिलाया गया परन्तु परिणाम शुन्य रहा। निर्गत आपर्ति के अनुपालन में यह अंकित करते हुए कि 15.9.2009 का कैश डिटेल्स/भौतिक सत्यापन कराकर दिखा दिया जायेगा एवं दिनांक 31.3.04 का कैशडिटेल्स वर्तमान में संभव नहीं है। लौटाया गया। यह लेखा अभिलेखों के संधारण में गम्भीर त्रटि है। इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 15.9.2009 को सामान्य रोकड़ पुस्त में संवरण शेष रू0 7,84,78,816.04 अंकित की पायी गयी। विभागीय पत्रांक 503 दिनांक 29.1. 1976 के आलोक में रोकड़ का भौतिक सत्यापन कराने हेतु लिखित अभियाचना की गयी जो नहीं कराया गया। अनुपालन में रोकड़ का भौतिक सत्यापन करा दिया गया अंकित कर लौटाया गया जो सत्य से परे है। विभागीय उच्चाधिकारियों का

ध्यान आवश्यक कार्रवाई हेतु आकृष्ट कराया जाता है। जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृति न होने पाये।

प्रखण्ड स्थापना में स्वीकृत पद एवं कार्यरत बल के साथ रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट ''ध'' देखी जाय। कुल स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत बल में कमी पायी गयी। जिसके कारण कार्य पर विपरीत असर पड़ रहा था अतः कार्य बल में वृद्धि अपेक्षित है।

भाग–1

(2) रूपये 12060/– कल्याण छात्रवृति मद में पायी गयी दोहरा भुगतान की राशि वसूली योग्यः–

वर्ष 2003–04 का 2225 कल्याण छात्रवृति वितरण की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत मोहम्मद पुर निलामी को अपने पंचायत में छात्रवृति वितरण करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय से चेक संख्या 0137858 दिनांक 16.1.04 को रू0 12060.00 दी गयी थी। पंचायत छात्रवृति रोकड़ पुस्त में यह राशि 16.1.04 को प्राप्ति एवं वितरण पश्चात 22.1.04 को रोकड़ पुस्त में व्यय दर्शाया पाया गया इस छात्रवृति वितरण की पंजी अंकेक्षण में दिखायी गयी। जिसका सत्यापन किया गया। दूसरी ओर इस पंचायत के इन्दिरा आवास रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि दिनांक 22.1.04 को चेक सं0 047409 से रू0 12060/– की निकासी छात्रवृति वितरण हेतु दर्शाकर रोकड़ में व्यय की गयी थी इस राशि की छात्रवृति वितरण पंजी भी अंकेक्षण में नहीं दिखायी गयी।

इस प्रकार एक ही तिथि 22.1.04 को उपरोक्त दोनों शीर्षो से छात्रवृति वितरण पाये जाने पर अंकेक्षण द्वारा आपत्ति निर्गत कर कार्यालय से दोहरा भुगतान की संभावना व्यक्त करते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया । अनुपालन में बताया गया कि संबंधित पंचायत सचिव एवं मुखिया से इस राशि की वसूली सरकारी नियमानुसार व्याज सहित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रहीं है।

विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान ऐसी धटनाओं को रोकने के लिए आकृष्ट कराया जाता है। अतः दोहरा भुगतान राशि को संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूलकर उचित शीर्ष अन्तर्गत कोषागार में जमाकर सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दी जाय।

(3) रूपये 77,946.00 बिक्रीकर / रोयल्टी मद में कम कटौती के फलस्वरूप राजस्व की क्षति :–

सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजना एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में प्रारंभ की गयी एवं पूर्ण पायी गयी योजनाओं में प्रयोग की गयी ईट, बालू, स्टोन चिप्स, सीमेंन्ट एवं लौह छड़ के आपूर्ति मूल्य पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से बिक्रीकर एवं रोयल्टी की कटौती नहीं की पायी गयी। मन माने टंग से अंशमात्र बिक्रीकर एवं रोयाल्टी काटी गयी जिससे सरकारी राजस्व की भारी क्षति हुई। बिक्रीकर एवं रोयाल्टी मद में हुई क्षति से संबंधित विवरणी तैयार कर इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट (ङ) संलग्न की गयी। कुल 24 योजनाओं से संबंधित इस परिशिष्ट के अवलोकन से ज्ञात होगा कि सरकार द्वारा निर्धारित दर से यदि बिक्रीकर एवं रोयाल्टी की कटौती की गयी हो तो वो कुल राजस्व की प्राप्ति बिक्री कर में रू0 81,861.00 एवं रोयाल्टी में रू0 22,152.00 हुई होती। जबकि सरकारी कोष में प्राप्ति मात्र बिक्री कर से रू0 18,061.00 हुई थी। एवं रोयाल्टी से रू0 8,006.00 की पायी गयी है। जिससे सरकारी राजस्व की क्षति बिक्रीकर में (81,861–18,061)=63,800.00 रूपये एवं रोयल्टी मद में क्षति (22,152–8,006)=14,146.00 रू0 हुई। यानि कुल क्षति बिक्रीकर +रोयाल्टी (63,800+14,146)=77,946.00 रूपये पायी गयी। इस संबंध में आपत्ति निर्गत कर सरकारी राजस्व की क्षति के संबंध में पूछा गया। जिसके अनूपालन में ‘‘रोयाल्टी एवं सेलटैक्स की कम कटौती की गयी राशि सम्बंधित अभिकर्त्ता एवं जिम्मेबार व्यक्तियों से वसूली की कार्रवाई की जायेगी’’ बताया गया।

इस संबंध में अंकेक्षण का सुझाव है कि विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा योजनाओं पर व्यवहृत की गयी निर्माण सामग्रीयों के आपूर्ति मुल्य पर विक्रीकर एवं रोयाल्टी की कटौती सरकारी दर पर कराने हेतु ठोस एवं कारगर कार्रवाई अपेक्षित है। जिससे सरकारी राजस्व की प्राप्ति में वृद्धि हेा। जिसके कारण सरकारी राजस्त की क्षति हो रही हैं। अथवा हो चूकी उसपर आवश्यक कार्रवाई की जाय। तत्काल हो चुकी सरकारी राजस्व की क्षति रू0 77,941.00 की भरपाई सम्बंधित जिम्मेबार व्यक्तियों से कराने की आवश्यक कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को भी अवगत कराया जाए।

(4) रूपये 16950/- ब्याज सहित नकद राशि एवं 20 (बीस) क्वीट्ल चावल का मूल्य वर्तमान बजार दर पर वसूली योग्यः-

योजना संख्या 9/02-03 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से ग्राम पंचायत राज नावादा में ''मांझा विशुनपुरा पक्की सड़क से विद्यालय हेाते हुए काली स्थान तक'' पथ में मिट्टी भराई कार्य कराने हेतु अभिकर्त्ता श्री अनिल कुमार कनीय अभियंता को रूपये 7500/- अग्रिम चेक सं0 0029834 से दिनांक 17.3. 2003 को 20 (बीस) क्वीट्ल चावल के साथ दी गई पायी गई। कुछ दिनों बाद ज्ञात हुआ कि यह योजना पिछले साल पंचायत के माध्यम से फूड फारवर्क योजना अन्तर्गत किया जा चूका था भूलवश यह प्राक्कलन बनाया जा चुका था। नियमानुसार 5(पाँच) साल की अवधि में दोबारा इस योजना पर कार्य नहीं कराया जा सकता है। तब प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने योजना संचिका पर दिनांक 29.3. 03 को यह आदेश दिया कि यह योजना स्थगित की जाती है। कनीय अभियंता श्री अनिल कुमार को निदेश दिया जाता है कि अग्रिम की राशि नजारत में वापस करें एवं जनवितरण प्रणाली के विक्रेता को दिये गये चावल आपूर्त्ति को वापस करें । इस संबंध में पूछताछ से ज्ञात हुआ कि नकद राशि और 20 क्वीट्ल चावल कुछ भी वापस नहीं किया गया । चावल का दर 6/- प्रतिकिलों सरकार द्वारा मजदूरों को देने के लिए निर्धारित की पायी गयी थी। इस संबंध में आपर्त्ति निर्गत कर नकद राशि ब्याज सहित एवं चावल का मुल्य वर्तमान बजार दर पर वसूली कर

जमा कराने को कहा गया। आपत्ति अनुपालन में ब्याज सहित वसूली की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि नकद राशि 7500/- की वसुली विभागीय प्रावधन के अनुसार डेढ़ प्रतिशत मासिक अर्थात 18% सालाना की दर से कुल सात वर्षो का (17.3.03 से 17.3.2010) 7500×18%=1350 एक वर्ष का × 7 वर्ष = 9450 ब्याज जोड़ मुल धन 7500/-=16950 रूपये की वसूली की जाय साथ ही साथ 20 (बीस) क्वीटल चावल का वर्तमान बजार मुल्य दर पर वसूली करते हुए प्रखण्ड कोष के संबंधित शीर्ष अन्तर्गत जमा करायी जाय। तत्पश्चात फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

(5) रूपये 16,809/- ईट मुल्य एवं ढुलाई भाड़ा सहित वसूली योग्यः-

स्ट्रीम 1 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना संख्या 3/02-03 की ग्राम पंचायत हसनपुर में हसनपुर बजार जानेवाली सड़क में युगेश्वर महतो के धर से डोम टोली होते हुए सुगेश्वर यादव के वथान तक सड़क का मिट्टी करण ईट करण से संबंधित योजना की जाँच पाया गया कि प्राक्कलन के अनुसार कुल 46250.00 अदद ईट खर्च अनुमान्य था। योजना संचिका में संलग्न ईट खरीद अभिश्रवों की संख्या 5 पाँच पायी थी जिससे कुल ईट खरीद 46255 प्रतीत होता है। इन अभिश्रव पर न तो खरीद तिथि अंकित था और न ढोने वाले की संख्या था। इस योजना के मापी पुस्त की गहन जाँच में ज्ञात हुआ कि मापीपुस्त के पृष्ठ संख्या 3 के कॉलम 5 पर मात्र 37500 अदद ईट का मूल्य रू0 63,188.00 वास्तविक व्यय में जोड़ा गया था। ढुलाई भाड़ा रू0 10,495.00 को वास्ततिक व्यय में नहीं जोड़ा गया था। पुनः मापीपुस्त पृष्ठ संख्या 7 के कॉलम 5 पर अन्तिम खरीद का ईट अभिश्रव जो 8755 अदद का है इसका मूल्य 1685/- प्रति हजार की दर से रू0 14,752.00 को वास्ततिक व्यय में नहीं जोड़ा गया था। इसके ढुलाई पर आनेवाला व्यय रू0 2057.00 को अनुमान्य व्यय में जोड़ते हुए प्राक्कलित राशि रू0 1,26,900.00 के अन्तर्गत कुल व्यय रूपये 1,26,758.00

पर पूर्ण दर्शाते हुए योजना के अभिकर्त्ता श्री रामवृक्ष क0 अ0 शर्मा को अंन्तिम भुगतान की गई पायी गयी है।

उपर दर्शायी गयी तथ्यों से निष्कर्ष यह निकल रहा है। कि 8755 अदद ईट खरीद अभिश्रव काल्पनिक है। सिर्फ प्राक्कलन के अनुसार ईट मात्रा 46250 अदद का संतुलन करने के लिए संचिका में अभिश्रव संलग्न किया गया । कारण कि जब इसका मूल्य ही वास्तविक व्यय में नहीं जोड़ा गया तो ईट खरीद की गयी है। कैसे माना जाय। प्राक्कलित राशि खानापुरी के अभिश्रव साक्ष्य के माध्यम से निकाशी कर आपस में बंदर बॉट कर लिया गया प्रतित होता है। इसी शंका पर आपत्ति निर्गत की गयी और पूछा गया कि 8755 अदद ईट का प्रयोग किये बिना सड़क ईट करण योजना कैसे पूर्ण हो गयी है। स्थिति स्पष्ट की जाय। अनुपालन में बताया गया कि ‘‘ मापीपुस्त की जाँच की जा रहीं है। जांचोपरान्त 8755 ईट का खरीद मुल्य 1685/– प्रति हजार की दर से वसुली की कार्रवाई की जायेगी।’’

इस योजना की पूर्णता पर संदेह है इसका स्पौट सत्यापन सक्षम पदाधिकारीयों से करायी जाय। सड़क ईट करण का स्तर नन स्टैण्डर्ड पायी जाने पर आवश्यक विभागीय कार्रवाई अपेक्षित है। तत्काल अंकेक्षण के सुझाव में 8755 अदद ईट जो योजना में खरीद नहीं की गयी पायी गयी है। का मुल्य ढुलाई भाड़ा सहित 16,809.00 रूपये जिम्मेवार व्यक्ति / व्यक्तियों से वसुली कर संबंधित शीर्ष में जमा करा ली जाय। तत्पश्चात फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को भी अवगत कराया जाय। तबतक यह राशि रूपये 16,809.00 को वसूली योग्य श्रेणी में रखा जाता है।

(6) रूपये 4,997.70 जीप इंधन पर किया गया व्यय आपत्ति अन्तर्गतः–

प्रखण्ड जीप बी0 आर0 डी0 7329 के लिए खरीदी गयी ईंधन अभिश्रवों की जाँच एवं लौगबुक में प्रविष्टि का सत्यापन में पाया गया कि वर्ष 2002–03 एवं 03–04 में कुछ अभिश्रवों से खरीद की गयी इंधन की प्रतिष्टि जीप लौग बुक में नहीं की गयी थी। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निर्गत मंत्री मंडलीय (निगरानी) विभाग के पत्रांक 1342 पटना दिनांक 23.7.77 के

निदेशानुसार इंधन की प्रविष्टि संबंधित गाड़ी के लौग बुक में होनी चाहिए अन्यथा इंधन का मुल्य जिम्मेबार व्यक्ति से वसूली योग्य मानी जायेगी । जिन अभिश्रवों से वाहन संख्या बी0 आर0 डी0 7329 के लिए इंधन (डीजल) खरीदी गयी थी उसकी प्रविष्टि लौगबुक में नहीं की गयी थी की सूची परिशिष्ट (च) पर दी गयी है। सूची के अनुसार कुल रूपये 4997.70/ का ईधन जिसकी प्रविष्टि संबंधित लौग बुक में नहीं है। इस संबंध से आपत्ति निर्गत कर वस्तु स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके अनुपालन में जाँचोपरान्त वसूली की कार्रवाई की जायेगी बताया गया । अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि सूची में दर्शायी गयी राशि सक्षम पदाधिकारी के जाँच कर एवं सम्बंधित लौग बुक में प्रविष्टि कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थति में राशि वसूलनीय योग्य होगी। तत्पश्चात फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय। तबतक रूपये 4997.70 अन्तर्गत रखी जाती है।

(7) रूपये 1590.00 मकान किराया कम कटौती किया जाना वसूली योग्यः–

वर्ष 02–03 एवं 03–04 के वेतन भुगतान पंजी की जॉच में पाया गया कि बिहार सरकार अवर सचिव भवन निर्माण एवं आवास विभाग के पत्रांक 189 भ0नि0 दिनांक 24.11.90 के अनूसार पदाधिकारी एवं सुपर वाइजर श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निर्धारित मकान भाड़ा की राशि रू0 102/– एवं 58.40/– प्रति माह है। वेतन भुगतान पंजी में मकान भाड़ा की कटौती प्र0 वि0 पदा0 श्री मो0 अनसार अहम्मद से 35/– रू0 प्रति माह की गयी थी तथा श्री अवध किशोर साह कनीय अभियंता से 20/– रू0 प्रतिमाह की कटौती की गयी थी । इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनूपालन में बताया गया कि राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। वसूली कर राशि कोषागार में जमा कर इसकी सूचना भेज दी जायेगी।

मकान भाड़ा मद में कम कटौती की पायी गयी रूपये 1590/– की विवरणी परिशिष्ट (छ) संलग्न की गयी है। संलग्न विवरणी के आधार पर प्र0वि0 पदाधिकारी मो0 अनसार अहम्मद से रूपये 1206.00 एवं श्री अवध किशोर साह कनीय अभियंता से रूपये 384.00 कर ली जाय कुल रूपये (1206+384)=1590/–

की वसूली कर कोषागार में जमा कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को भी अवगत कराया जाय।

(8) रूपये 2000/– अग्रिम असमायोजितः–

अग्रिम भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री गुलाब चन्द्र प्रसाद पंचायत सेवक द्वारा निर्वाचन कार्य अन्तर्गत फौटो स्टेट कराने हेतु दिनांक 10.2.04 का रू.01000/– अग्रिम प्राप्त किया गया था। एवं निर्वाचन कार्य अन्तर्गत ही श्री मंकेश्वर शुक्ल पंचायत सेवक को पटना मतदाता सूची मिलान हेतु दिनांक 29.2.04 को रू0 500/– एवं दिनांक 9.3.04 को रू0 500/– कुल अग्रिम रू0 1000/– ही पायी गयी थी। इस प्रकार कुल 2,000/– का अस्थायी अग्रिम दिया गया था। इस अग्रिम का समायेाजन अंकेक्षण समाप्ति तक लंबित था।

अग्रिम समायोजन के संबंध में निर्गत आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि इन दोनों से अभिश्रव प्राप्त कर समायोजन कर लिया जायेगा। अभिश्रव से समायोजन नहीं हो पाया तो नकद वसूली की कार्रवाई की जायेगी । अतः अंकेक्षण का सुझाव है। अग्रिम समायोजन की कार्रवाई यथा शीध्र कर ली जाय। तत्पश्चात फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

(9) रूपये 37,000/– यात्रा भत्ता मद में व्यय राशि आपत्ति अन्तर्गतः–

आवंटन पंजी, विपत्र पुस्त एवं रोकड़ पुस्त से ज्ञात हुआ कि शीर्ष 2515 ख विकाश एवं 2505 एन0आर0ई0पी0 शीर्षो अन्तर्गत वर्ष 02–03 एवं 03–04 में यात्रा भत्ता मद में कुल 37,000/– रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ था । जिसकी निकासी एवं व्यय रोकड़ पुस्त के अनुसार निम्नवत पायी गयी थी।:–

शीर्ष	विपत्र संख्या	कुल निकासी एवं व्यय	भुगतान तिथि
2505 एन0आर0ई0वी0	103/02–03	2000.00	31.3.2003

2515 ख विकास	104/02–03	12,900.00	31.3.2003
2515 ख विकास	124/02–03	5,100.00	31.3.2003
2515 ख विकास	112/03–04	17,000.00	30.3.04
	कुल योग	37,000.00	

यात्रा भत्ता में व्यय की जाँच एवं सत्यापन के लिए यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रति एवं भुगतान पंजी की माँग मौखिक एवं लिखित रूप से की गयी । जो नहीं उपलब्ध कराया गया। अनुपालन में बताया गया कि यात्रा भत्ता 'विपत्रों की कार्यालय प्रति खोज बीन के बाद भी नहीं मिल सका इसलिए प्रस्तुत नहीं जा सका मिलने पर अगले अंकेक्षण में दिखला दिया जायेगा । यह अभिलेखों के रख रखाव में लापरवाही का स्पष्ट उदाहारण है विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाता है। इस पर नियमानुकुल जिम्मेवार व्यक्तियों पर कार्रवाई अपेक्षित है।

इस संबंध में अंकेक्षण का सुझाव है कि यात्रा भत्ता मद में भुगतान की गई राशि सक्षम पदाधिकारी से जाँच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

तब तक यात्रा भत्ता मद में व्यय राशि रू0 37,000/– को जाँच एवं सत्यापन के अभाव में आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(10) रू0 18,000/– जिला योजना मद की अग्रिम राशि वास्तविक में समायोजन हुए बिना रोकड़ पुस्त में व्यय पक्ष में अंकित किया जाना वसूली येाग्यः–

श्री राजबली राय पंचायत सेवक को दी गयी राशि 18,000/– अग्रिम दिनांक 16.3.89 को योजना द्वारा समायोजित नहीं की पायी गयी थी। जब श्री राय सेवा निवृत हो चूके तब उनके पेन्सन से राशि 18,000/– का समायोजन प्र0 वि0 पदा0 के पत्रांक 497 दिनांक 23.5.03 के आलोक में कोषागार पदाधिकारी

गोपालगंज द्वारा करते हुए अपने पत्रांक 553 दिनांक 29.5.03 को प्रखण्ड पदाधिकारी को सूचित किया गया था। सूचना इस प्रकार से दी गयी थी कि श्री राज बली राय पंचायत सेवक के पेंन्सन से राशि 18,000/- का समायोजन कर ली गयी है। यह राशि कोषागार से भेजने का प्रावधान नहीं है। इस राशि का लेखा जोखा महालेखाकार बिहार को भेज दी गयी है। इसी पत्र के आलोक में प्रखण्ड कार्यालय द्वारा अग्रिम भुगतान पंजी पुष्ठ सं0 32 पर अग्रिम समायोजन दशाते हुए अग्रिम रोकड़ पुस्त में दिनांक 17.2.04 को समायोजन कर दिया गया है। तथा एन0आर0ई0पी0 के सहायक रोकड़ पुस्त में दिनांक 17.2.04 को व्यय दिखाया पाया गया ।

इस प्रकार वास्तविक समायोजन किये बिना रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में अंकित कर संवरण शेष में कमी कर दी गयी जिसे सम्बंधित व्यक्ति से वसूलकर संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धि कर्त्ता का ह0

1.

2.

परिशिष्ट 'क' कंडिका 1(ट) से सम्बंधित

अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों की सूची

1 वेतन भुगतान पंजी सभी शीर्ष वर्ष 2002–03 से 03–04 तक

2 सभी शीर्षो के सहायक रोकड़ पुस्त वर्ष 2002–03 से 03–04 तक

3 समान्य रोकड़ पुस्त वर्ष 2002–03 से 03–04 तक

4 विपत्र पुस्त वर्ष 2002–03 से 03–04 तक

5 आवंटन पंजी वर्ष 2002–03 से 03–04 तक

6 रेमिटेन्स पंजी वर्ष 2002–03 से 03–04 तक

7 सभी योजनाओं के भुगतान अभिश्रव वर्ष 2002–03 से 03–04 तक

8 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का केश रिकार्डस सभी

9 सुनिश्चित रोजगार योजना के केश रिकार्डस सभी

10 इन्दिरा आवास / एकादश द्वादश वित्त आयोग का केश रिकार्डस आंशिक

11 छात्रवृति वितरण पंजी पंचायतों का आंशिक

12 जीप लौग बुक वर्ष 2002–03 से 03–04 तक

13 अग्रिम भुगतान पंजी वर्ष 2002–03 से 03–04 तक

14 अग्रिम रोकड़ पुस्त वर्ष 2002–03 से 03–04 तक

परिशिष्ट 'क' कंडिका 1(ट) से सम्बंधित

अंकेक्षण में अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची

(1) सेवा पुस्त

(2) आवंटन पत्र संचिका

(3) निरीक्षण संचिका

(4) कन्टीजेन्ट पंजी

(5) जीप का इतिहास बुक

(6) ग्राम पंचायत राज माधोपुर बेलसन्ड एवं विष्णुपुर का छात्रवृति वितरण पंजी

(7) प्रस्तुत केष रिकार्ड के आलावे शेष सभी शीर्षो का केश रेकर्डस